

प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलेक्टर उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 60/2026 (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add: 66-K, Singhvi house, first floor, inside Saheliyon ki bari,
Udaipur

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

बनाम

.....अपीलार्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

.....प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक: 28/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329077313908904 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर रेवेन्यु बोर्ड में प्रस्तुत शिकायत के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1735879320 दिनांक 24.02.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/60/62/367-68 दिनांक 24.02.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक: स.लो.सू.अ./2026/1178 दिनांक 13.03.2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई पोर्टल पर दिनांक 19.01.2026 को आवेदन प्रस्तुत कर रेवेन्यु बोर्ड में प्रस्तुत शिकायत के संबंध में सूचना चाही गई है। उक्त सूचना के संबंध में आरटीआई पोर्टल पर outward no. 2489610394 दिनांक 18.02.2026 को प्रेषित पत्र में कार्यालय द्वारा अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में वर्तमान में जांचाधीन है तथा संबंधित स्तरों पर तथ्य संकलन एवं परीक्षण की प्रक्रिया अभी जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 27734/2012 गिरिश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्र सूचना आयोग जिसका निर्णय दिनांक 03.10.2012 को दिया गया उक्त निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि किसी भी लोक सेवक के सेवा अभिलेख, विभागीय कार्यवाही, गोपनीय प्रविष्टियां एवं व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आता है तथा जब तक कोई स्पष्ट एवं प्रभावी व्यापक लोकहित सिद्ध न हो, तब तक उनका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। चूंकि प्रार्थी के आवेदन से संबंधित विषय विभागीय



RajKaj Ref No.:
21848217
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.04.28 13:13:38 IST
Reason: Approved

कार्यवाही/जांच से संबंधित है और वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत अपवर्जित (Exempted) है। अतः प्रार्थी को उक्त अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय से लोक सेवक के अभिलेख, विभागीय कार्यवाही एवं गोपनीय प्रविष्टियों के संबंध में सूचना चाही गई चाही गई है जो लोक सेवक की व्यक्तिगत सूचनाएं हैं एवं उक्त सूचना का कोई व्यापक लोक हित भी नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अंतर्गत अपवर्जित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।



(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलेक्टर, उदयपुर

RajKaj Ref No.:
21846217
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.04.25 13:13:38 IST
Reason: Approved